न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 79/2016

तारीख दायरा–05.06.2016
तारीख निर्णय–24.06.2019

1. श्री नवलसिंह पिता भैरूसिंह राजपुत निवासी वास तहसील गोगुन्दा।
2. श्री बंशीलाल पिता नथमल दर्जी निवासी नृसिंहपुरा तहसील गोगुन्दा।

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमती मीताली पत्नी भोलेनाथ निवासी वास तहसील गोगुन्दा।
2. श्री चम्पालाल पिता भंवरलाल कुम्हार निवासी वास तहसील गोगुन्दा।
3. श्री घनश्याम पिता वरदीशंकर ब्राहमण निवासी ओगणा तहसील गोगुन्दा।
4. श्री रोशनलाल पिता नवलराम दर्जी निवासी वास तहसील गोगुन्दा।
5. श्रीमती टमुबाई पिता मोतीसिंह राजपुत निवासी बिल्डिया तहसील गोगुन्दा।
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री शिवशंकर जोशी
प्रतिवादी की ओर से– श्री महेन्द्र कुमार पालीवाल

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा वास तहसील गोगुन्दा में आराजी नम्बर 312 रकबा 0.12 बीघा भूमि स्थित है। उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि होकर संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु भूमि संयुक्त खातेदारी में होने से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पाली डोली को लेकर विवाद होता रहता है एवं भूमि संयुक्त खातेदारी में होने से वादी अपने हिस्से की भूमि के विकास हेतु ऋण भी नही ले पा रहे है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई तत्परता नही दिखाने से वादीगण को उक्त वाद आप न्यायालय में संस्थित करना आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने में कोई आपत्ती नही होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का खातेदारान के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्ड़ल 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग–लगभग बराबर–बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नही है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा वास तहसील गोगुन्दा की आराजी नम्बर 312/1 रकबा साढे पांच विश्वा का श्री नवलसिंह पिता भैरूसिंह 1350/6353, बंशीलाल पिता नथमल 2000/6353, गीता पिता मोतीसिंह 1473/6353, रोशनलाल पिता नवलराम 630/6353, चम्पालाल पिता भंवरलाल 630/6353 को, आराजी नम्बर 312/2 रकबा साढे तीन विश्वा को टमुबाई पिता मोतीसिंह राजपुत 900/3969, मिताली पति भोलेनाथ 843/3969, रोशनलाल पिता नवलराम 2226/3969 को एवं आराजी नम्बर 312 मी. रकबा तीन विश्वा का नवलसिंह पिता भैरूसिंह 2131/3618, बंशीलाल पिता नथमल 1487/3618 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एतदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Pandey
Date: 2019.07.11 15:58:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: